

## मनरेगा जॉब कार्डों को नरिस्त कथिा जाना

### प्रलिमिस के लयि:

मनरेगा, मनरेगा योजना, नगर नगिम, प्रबंधन सूचना प्रणाली, आधार-आधारति भुगतान प्रणाली, काम करने का कानूनी अधिकार, बेरोजगारी, ग्राम पंचायत, बेरोजगारी भत्ता।

### मुख्य परीक्षा के लयि:

गरीबी, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, वकास से संबंधित मुददे, मनरेगा और संबंधित मुददे।

**स्रोत: द हंडि**

### चर्चा में क्यों?

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधनियम, 2005 (मनरेगा) के अंतर्गत जॉब कार्डों से श्रमकिं के नाम वलोपति कथिा जाने की हालयि वृद्धि ने काम के अधिकार और कार्यान्वयन में पारदरशति को लेकर गंभीर चातिएँ उत्पन्न कर दी हैं।

- अकेले वर्ष 2022-23 में 5.53 करोड़ से अधिक श्रमकिं को हटा दयि गया, जो वर्ष 2021-22 से 247% की वृद्धिदरशता है।

### मनरेगा जॉब कार्ड हटाने के लयि मुख्य प्रावधान क्या हैं?

- वलोपन के आधार: मनरेगा अधनियम, 2005 की अनुसूची II, पैराग्राफ 23 के अनुसार, जॉब कार्ड को केवल वशिष्ट, सुपरभाषति शर्तों के तहत ही हटाया जा सकता है:
  - स्थायी प्रवास: यदि कोई परवार संबंधित [ग्राम पंचायत](#) से स्थायी रूप से स्थानांतरति हो जाता है।
  - दुप्लीकेट जॉब कार्ड: यदि कोई जॉब कार्ड दुप्लीकेट पाया जाता है।
  - जाली दस्तावेज़: यदि जॉब कार्ड जाली दस्तावेजों के आधार पर जारी कथिा गया हो।
  - क्षेत्र का पुनर्वर्गीकरण: यदि किसी ग्राम पंचायत को [नगर नगिम](#) के रूप में पुनर्वर्गीकृत कथिा जाता है, तो उससे संबंधित सभी जॉब कार्ड हटा दयि जाते हैं।
  - अन्य वैध कारण: मनरेगा [प्रबंधन सूचना प्रणाली \(MIS\)](#) में "दुप्लीकेट आवेदक", "फेक आवेदक" और "काम करने के लयि इच्छुक नहीं" जैसे कारण सूचीबद्ध हैं।
- ABPS की भूमिका: वर्ष 2022-23 के दौरान मनरेगा जॉब कार्ड वलोपन में वृद्धिअनविरय [आधार-आधारति भुगतान प्रणाली \(ABPS\)](#) के कार्यान्वयन के साथ हुई, जस्ति के तहत श्रमकिं को अपने आधार नंबर को अपने जॉब कार्ड से जोड़ना आवश्यक हो गया।
  - जनि श्रमकिं के आधार कार्ड लकि नहीं थे या गलत तरीके से लकि थे, उनके जॉब कार्ड नरिस्त कर दयि गए।
- वलोपन की उचिति प्रक्रिया: वलोपन के लयि प्रस्तावति श्रमकिं की सुनवाई दो स्वतंत्र व्यक्तियों की उपस्थितिमें की जानी चाहयि, हटाने के कारणों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि की जानी चाहयि, कार्यवाही का दस्तावेजीकरण कथिा जाना चाहयि, तथा पारदरशति के लयि रपोर्ट ग्राम सभा या वार्ड सभा के साथ साझा की जानी चाहयि।

**नोट:** एबीपीएस एक भुगतान प्रणाली है जो सरकारी सब्सिडी और लाभों को लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजने के लयि आधार संख्या का उपयोग करती है।

### मनरेगा जॉब कार्डों के नरिस्त के क्या परणिम होंगे?

- कार्य करने के अधिकार का उल्लंघन: "कार्य करने के इच्छुक नहीं होने" के आधार पर जॉब कार्ड से श्रमकिं के नाम हटाना, श्रमकि को कार्य करने के उसके वधिकि अधिकार से वंचति करना है।
  - जनि श्रमकिं पर "कार्य करने के लयि तैयार नहीं" के रूप में चहिनति कथिा गया था, उनमें से कई ने वास्तव में अपने हटाए जाने के वित्तीय

वर्ष में काम कया था या काम के लिये अनुरोध कया था।

- **असंगत प्रक्रिया:** केवल कुछ श्रमकों के जॉब कार्ड हटाने के लिये प्रयुक्त कया गया आधिकारिक कारण "ग्रामीण शहरी बन जाता है" अधिनियम की इस शर्त का खंडन करता है कि शहरी क्षेत्र में सभी जॉब कार्ड हटा दिये जाने चाहयि।
  - नाम हटाने में अक्सर ग्राम सभा की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती, जो अधिनियम का उल्लंघन है तथा कई श्रमकों को उनकी जानकारी के बनियां गलत तरीके से नाम हटा दिये जाते हैं।
- **सत्यापन का अभाव:** कई श्रमकि गलत तरीके से नाम हटाए जाने के शकिर हुए, जब हटाए जाने के कारणों की वैधता का आकलन करने के लिये कसी सत्यापन या विश्लेषण के बनियां ही उनका नाम हटा दिया गया।
  - यद्यपि नाम हटाने की प्रक्रिया एमआईएस में दरज की जाती है, लेकिन ग्रामीण विकास मंत्रालय ने नाम हटाने के कारणों, जिनमें 'कारय करने के लिये तैयार नहीं होना' का कारण भी शामिल है, का कोई सत्यापन और विश्लेषण नहीं कया है।
- **वंचति समुदाय पर प्रभाव:** "कारय करने के लिये तैयार नहीं होने" जैसे कारणों से श्रमकों को हटाना, विशेष रूप से उच्च [ग्रामीण बेरोजगारी दरों](#) के मद्देनजर, प्रत्यक्ष तौर पर उनके आजीविका के अवसरों को कम करता है।
- **डेटा-संचालित चिताईः** डेटा से ज्ञात होता है कि विलोपन में वृद्धि एवीपीएस पर बढ़ते फोकस के साथ संरेखति है, जो यह दरशाता है कि विलोपन वास्तविक कारणों के बजाय अनुपालन प्रत्येक साहनों से प्रेरित हो सकता है।

## मनरेगा योजना क्या है?

- **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005** को सितंबर 2005 में पारित कया गया ताकमिनरेगा योजना के तहत रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान की जा सके।
- **उद्देश्यः** अकुशल शासीरकि श्रम करने के इच्छुक ग्रामीण परविरों के वयस्क सदस्यों को प्रतिवितीय वर्ष 100 दिनों का रोजगार प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा में वृद्धि करता है।
- **पात्रता:**
  - लक्ष्यति समूहः रोजगार की आवश्यकता वाले सभी ग्रामीण परविर जो शासीरकि, अकुशल कारय करने के लिये तैयार हों।
  - पंजीकरणः आवेदक अपना आवेदन [ग्राम पंचायत](#) को प्रस्तुत करते हैं, जिसके द्वारा परविरों को पंजीकृत करने के साथ सत्यापन के बाद जॉब कार्ड जारी कया जाता है।
  - प्राथमकिता: वेतन चाहने वालों में कम से कम एक तहिई महिलाएँ होनी चाहयि।
  - रोजगार की शर्तें: रोजगार कम से कम 14 दिनों तक लगातार चलना चाहयि तथा प्रति सप्ताह अधिकतम छह कारयदविस होने चाहयि।
- **रोजगार प्रावधानः**
  - रोजगार समयसीमा: ग्राम पंचायत या ब्लॉक कारयक्रम अधिकारी को आवेदन के 15 दिनों के अंदर आवेदक के गाँव के 5 किलोमीटर की सीमा में कारय उपलब्ध कराना होता है।
    - 5 किलोमीटर की सीमा के बाहर कारय प्रदान करने की स्थिति में परविहन तथा अन्य लागत हेतु 10% अतरिकित वेतन का प्रावधान है।
  - बेरोजगारी भत्ता: यदि 15 दिनों के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है जो प्रथम 30 दिनों के लिये मजदूरी दर का एक-चौथाई तथा शेष के लिये कम से कम आधा होता है।
- **अनुमेय कारयः**
  - जल एवं भूमि विकासः संरक्षण एवं संचयन।
  - वनरोपण एवं सूखा निवारणः वृक्षारोपण।
  - सचिराई एवं कृषि अवसंरचना: नहरें, तालाब और सचिराई।
  - ग्रामीण संपरकता: सड़कें एवं पुलिया।
  - सवच्छता एवं स्वास्थ्यः शौचालय तथा अपशिष्ट प्रबंधन।
  - ग्रामीण बुनियादी ढाँचा: सामुदायिकि केंद्र एवं भंडारण केंद्र।
  - रोजगार से संबंधित परियोजनाएँ: खाद बनाना, पशुधन आश्रय, मत्स्य पालन।
- **प्रतिबंधः** ठेकेदारों एवं श्रमकि-विस्थापन मशीनों का उपयोग नविदिध है।
- **मनरेगा और सतत विकास लक्ष्यः**



## आगे की राह

- सत्यापन की प्रक्रिया:** मनमाने ढंग से नाम हटाने की घटनाओं को कम करने तथा श्रमकिंवद्वारा अधिकारों की रक्षा के लिये यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि चयन में मनरेगा अधिनियम, 2005 तथा मास्टर सरकुलर प्रोटोकॉल का पालन किया जाए।
- लेखापरीक्षण एवं नरीक्षण:** नरितरता तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करने के क्रम में समय-समय पर रक्किंड में हेरफेर एवं जॉब कार्ड के नरिस्त होने के कारणों की लेखापरीक्षण करने हेतु स्वतंत्र निकायों या तीसरे पक्ष की एजेंसियों की स्थापना करनी चाहयि।
- शक्तियात नविवारण:** श्रमकिंवद्वारा शक्तियात दर्ज करने और गलत तरीके से हटाए गए नामों के लियनविवारण की मांग करने हेतु एक स्पष्ट और कुशल प्रक्रिया प्रदान करने हेतु प्रणालियों का नरिमाण या सुदृढ़ीकरण करना।
- ग्राम सभाओं को सशक्त बनाना:** यह सुनिश्चित करना कि सभी वलियोंनों की समीक्षा की जाए और ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया जाए, जैसा किमिरेगा अधिनियम, 2005 में अनविार्य किया गया है।
- MIS को उन्नत करना:** जॉब कार्ड को स्टीक रूप से ट्रैक करने और रक्किंड करने के लिये MIS को बेहतर निगरानी के लिये वास्तविक समय अधिसूचना एवं सख्त रपिटिंग सुविधाओं के साथ उन्नत बनाना।
  - समय पर हस्तक्षेप और सुधारात्मक कारबोर्ड के लिये जॉब कार्ड को नरिस्त करने की प्रवृत्तियों और अनियमिताओं का पता लगाने के लिये डेटा विश्लेषण का उपयोग करना।

प्रश्न: मनरेगा सत्यापन प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाकर मनमाने ढंग से कार्ड को नरिस्त करने को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

प्रश्न: मनरेगा सत्यापन प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाकर मनमाने ढंग से कार्ड को नरिस्त करने को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

## प्रश्नोत्तर:

प्रश्न. 1991 में आरथिक नीतियों के उदारीकरण के बाद भारत में नमिनलखिति में से क्या प्रभाव उत्पन्न हुआ है? (2017)

1. सकल घरेलू उत्पाद में कृषिकी हस्सेदारी में भारी वृद्धि हुई।
2. वशिव व्यापार में भारत के नरियात का हस्सा बढ़ा।
3. FDI प्रवाह बढ़ा।
4. भारत के वादेशी मुद्रा भंडार में भारी वृद्धि हुई।

नीचे दिये गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1 और 4  
 (b) केवल 2, 3 और 4  
 (c) केवल 2 और 3  
 (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (b)

प्रश्न. नमिनलखिति में से कौन "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधनियम" से लाभ पाने के पात्र हैं? (2011)

- (A) केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातिके परविरों के वयस्क सदस्य।  
 (B) गरीबी रेखा से नीचे (BPL) के परविरों के वयस्क सदस्य।  
 (C) सभी पछिड़े समुदायों के परविरों के वयस्क सदस्य।  
 (D) कसी भी घर के वयस्क सदस्य।

उत्तर: (D)

## प्रश्नोत्तर:

प्रश्न: "भारत में स्थानीय स्वशासन पद्धति, शासन का प्रभावी साधन साबित नहीं हुई है।" इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए तथा स्थितिमें सुधार के लिये अपने विवार प्रस्तुत कीजिये। (2017)

प्रश्न: क्या कमज़ोर और पछिड़े समुदायों के लिये आवश्यक सामाजिक संसाधनों को सुरक्षित करने के द्वारा, उनकी उन्नतिके लिये सरकारी योजनाएँ, शहरी अरथव्यवस्थाओं में व्यवसायों की स्थापना करने में उनको बहिकृत कर देती हैं? (2014)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/deletion-of-mgnrega-job-cards>